पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

पीठ समक्ष : माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 1021/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता : (जेल में) चंदू उर्फ चंद्रहास ध्रुव पिता – मोहित राम ध्रुव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी – ग्राम छोटापारा सोरम, राजस्व मंडल – धमतरी, जिला – धमतरी (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना धमतरी, जिला – धमतरी (छत्तीसगढ़)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित : श्री वी. पी. गुप्ता, अधिवक्ता — अपीलकर्ता की ओर से

श्री राकेश झा, उप महाधिवक्ता — राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से

<u>मौखिक निर्णय</u>

(दिनांक 22/03/2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया :

<u>टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश :—</u>

1. इस अपील में चुनौती दिनांक 07/08/2003 के उस दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को है, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 491/2002 में पारित किया गया। उक्त निर्णय में न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपने भाई मृतक मेलाराम उर्फ मनीष गोंड की हत्या जैसा दण्डनीय आपराधिक मानववध कारित करने का दोषी पाते हुए दण्डित किया। अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं ₹500/- का अर्थदण्ड दिया गया, तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का सक्षम कारावास प्रदान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपील इस आधार पर की गई है कि पर्याप्त साक्ष्य न होने के बावजूद न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर दण्डित कर दिया गया।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 16/09/2002 की दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि लगभग 0:30 बजे, अपीलकर्ता चंदू उर्फ चंद्रहास, जो मृतक मेलाराम का भाई है, अपने भाई की गर्दन पर हंसिया से हमला किया, जिससे उसे घातक चोट पहुँची। घटना सुनकर अ. सा. -5 इतवारी निषाद मेलाराम के घर पहुँचे, जहाँ मेलाराम घायल अवस्था में था और उसने मृत्युकालीनकथन दिया कि उसके भाई चंदू उर्फ चंद्रहास ने उस पर हमला किया है। घायल को

अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। तत्पश्चात अ. सा. -1 छबीलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 दर्ज कराई तथा मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 तैयार की गई। अन्वेषन अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। प्रदर्श पी-5 के माध्यम से गवाहों को बुलाया गया। मृतक मेलाराम के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया प्रदर्श पी-17A। पोस्टमार्टम अ. सा. -15 डॉ. वाई. के. सिंह द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 में निम्न चोटें पाई गईं— (i) दाहिनी ओर गर्दन पर स्पिंडल आकार की 3 x 2 x 5 से.मी. की चोट। (मृत्यु पूर्व)(ii) हृदय के सामान्य भाग पर कट एवं आसपास की मांसपेशियों पर भी चोट मृत्यु का कारण रक्तस्राव के कारण अचेत हो गया तथा मृत्यु में मानववध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी स्थल से बरामद की गई, जो साक्ष्य प्रदर्श पी-2 एवं P-3 में संलग्न है। स्थल से एक एल्यूमीनियम का भाग बरामद किया गया, जो साक्ष्य प्रदर्श पी-4 में सम्मिलित है। अपीलकर्ता को हिरासत में लिया गया, उसने हंसिया की प्रकटीकरण कथन की जो साक्ष्य प्रदर्श पी-7 में दर्ज है तथा अपीलकर्ता के कहने पर हंसिया बरामद किया गया जो साक्ष्य प्रदर्श पी-8 में संलग्न है। अपीलकर्ता/अभियुक्त के रक्तरंजित कपड़ा अपीलकर्ता के कब्जे से जब्त किए गए, जो साक्ष्य प्रदर्श पी-9 में दर्ज हैं। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया जो साक्ष्य प्रदर्श पी-14 में सम्मिलित है। अन्वेषन अधिकारी द्वारा भी घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया है, जो साक्ष्य प्रदर्श पी-23 में संलग्न है। मृतक के सील किए हुए कपड़ा जब्त किए गए जो साक्ष्य प्रदर्श पी-24 में संलग्न हैं। हंसिया का परीक्षण अ. सा. 15 डॉ. वाई. के. सिंह द्वारा किया गया, जिसका साक्ष्य प्रदर्श पी-18 में उल्लेख है। सील किए गए पदार्थ रासायनिक अन्वेषन के लिए भेजे गए जो साक्ष्य प्रदर्श पी-25

में संलग्न हैं। हंसिया तथा अभियुक्त से जब्त कपडों पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई, जो साक्ष्य प्रदर्श पी-26 में दर्ज है।

5. गवाहों के कथन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अन्वेषन पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, धमतरी को विचारण हेतु प्रत्यर्पित किया। माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने यह प्रकरण विचारण हेतु प्राप्त किया।

6. अपीलकर्ता/अभियुक्त की दोषसिद्धि सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों का परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष ने गवाह ब. सा. 1 शंकरलाल का परीक्षण किया, जिसने गवाही दी कि घटना के दिन लगभग रात्रि 12 बजे मृतक नशे की हालत में था। वह अपने घर की ओर गया था, मेलाराम को जमीन पर पड़ा पाया गया और गर्दन पर चोट थी। उस समय वह अचेत हो गया था। अपनी प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि सहायता की आवाज़ सुनकर वह मेलाराम के घर की ओर भागा जहाँ उसने मेलाराम की गर्दन पर चोट देखी। अभियुक्त/अपीलकर्ता से भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण की गई जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों को अस्वीकार किया तथा अपनी निर्दोषता और झूठे फंसाये जाने का दावा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, श्रीमान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर दंडित किया है।

8. अपीलकर्ता के पक्ष में अधिवक्ता श्री वी.पी. गुप्ता तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश झा, उप. शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने गए। आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

9. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह जोरदार टंग से तर्क रखा कि यह मामला मुख्यतः दिवंगत मेलाराम द्वारा अ. सा. .-5 इतवारी निषाद को दिए गए मृत्युकालीन कथन पर आधारित है, जिसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती तथा जिस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। उसकी गवाही विरोधाभासों एवं चूकों से भरी हुई है तथा उसका आचरण भी स्वाभाविक नहीं है। यह साक्षी लगभग 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उसकी स्मरण शक्ति भी स्वाभाविक नहीं लगती।

10. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि दोषसिद्धि अ.सा.-5 इतवारी निषाद के साक्ष्य पर आधारित है, जिनके समक्ष मृतक ने मृत्युकालीन कथन किया था, जो न्यायालय का विश्वास अर्जित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की समुचित विवेचन हेतु, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान प्रकरण में, मृतक मेलाराम की मानववध जो कि मृत्यु पूर्व-घात चोट के परिणामस्वरूप हुई, उसका अपीलकर्ता द्वारा कोई विशेष विवाद नहीं किया गया है। इसके विपरीत, अ.सा. -15 डॉ. वाई.के. सिंह के साक्ष्य तथा प्रदर्श पी-17 से यह पता चलता है कि मृतक की गर्दन पर घातक चोट पाई गई थी तथा उसकी मृत्यु हत्या प्रकृति में मानववध थी। ब. सा. 1 शंकरलाल ने भी मृतक की प्रकृति में मानववध होने की बात स्वीकार की है।

13. अपीलकर्ता की प्रश्नाधीन अपराध में संलिप्तता का संबंध है दोषसिद्धि मुख्यतः अ. सा. -5 इतवारी निषाद के साक्ष्य पर आधारित है, जिसके समक्ष मृतक मेलाराम ने अपना मृत्युकालीनकथन किया था। अ. सा. -5 इतवारी निषाद ने अपने बयान में कहा है कि अपीलकर्ता मेलाराम का भाई है। लगभग रात 11:30 बजे वह अपने घर में उपस्थित था। उसी समय जनकराम और शिवराम आए तथा उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बताया कि

उनके वार्ड में एक बड़ी घटना घटित हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि तुम मेलाराम के घर जाओ, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। तब वह बलराम पंच के साथ मेलाराम के घर गया, जहाँ मेलाराम पीड़ा से तड़प रहा था। मेलाराम ने उसे बताया कि उसके भाई ने उस पर हमला किया है। उसने मेलाराम की गर्दन पर चोट देखी और रक्त निकलते हुए देखा। इसके पश्चात वे उसे अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। उसने यह भी कहा है कि पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया। अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसकी आँखों की रोशनी कमजोर है। उसने अपने कथन के कंडिका-7 में यह भी स्वीकार किया कि मेलाराम के मुँह से शराब की गंध आ रही थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि रामसत्ता कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह घटना घटित हुई। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी स्मरणशक्ति कमजोर है और मेलाराम के शव को उसने यथोचित दूरी से देखा था। उसकी विस्तृत प्रति परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष ने इस गवाह से यह प्रश्न नहीं किया कि मेलाराम ने उसके समक्ष मृत्युकालीनकथन नहीं किया था। किसी प्रकार का सुझाव अथवा प्रश्न न किए जाने की स्थिति में उसके इस कथन का यह भाग कि मेलाराम ने उसके समक्ष मृत्युकालीनकथन किया, विश्वसनीय प्रतीत होता है। मृत्युकालीनकथन का सिद्धांत इस विधिक उक्ति पर आधारित है— “nemo moriturus praesumitur mentiri” अर्थात “कोई व्यक्ति अपने मृत्यु-शय्या पर झूठ बोलने की संभावना नहीं रखता, क्योंकि वह अपने निर्माता से मिलने झूठ लेकर नहीं जाएगा।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृत्युकालीन कथन की साक्ष्य-मूल्य के प्रश्न पर निपटारा करते हुए, पी. वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युकालीनकथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, क्योंकि मृत्यु-शय्या पर स्थित व्यक्ति की स्थिति अत्यंत गंभीर और शांत होती है, जो शपथ लेने के दायित्व के समान मानी जाती है। उक्त निर्णय के कंडिका 12 और 13 निम्न प्रकार हैं :—

“12. यह ऐसा मामला है जहाँ अभियुक्त के दोषसिद्धि का आधार मृत्युकालीन कथन है। जिस स्थिति में कोई व्यक्ति मृत्यु-शैया पर होता है, वह अत्यंत गंभीर और शांतिपूर्ण होती है। यही गंभीर अवस्था उसके कथन की सत्यता स्वीकार करने का वैधानिक कारण मानी जाती है। इसी कारण शपथ तथा प्रतिपरीक्षण की आवश्यकताओं को शिथिल कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि मृत्युकालीन कथन को बाहर कर दिया जाए, तो न्याय का गंभीर हनन होगा, क्योंकि पीड़ित स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात नहीं कह सकता। ” सामान्यतः यदि गंभीर अपराध में केवल एक ही चक्षुदर्शी हो और उसके कथन को बाहर कर दिया जाए, तो न्यायालय के पास कोई भी साक्ष्य शेष नहीं बचेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यद्यपि मृत्युकालीन कथन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं मिलता। प्रतिपरीक्षण सत्य को उजागर करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जैसा कि शपथ का दायित्व होता है। यही कारण है कि न्यायालय भी यह अपेक्षा करता है कि मृत्युकालीन कथन ऐसा होना चाहिए जिससे न्यायालय को उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो सके। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि मृतक का कथन न तो किसी प्रकार की सिखलाई प्रेरणा या कल्पना का परिणाम हो। न्यायालय को यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में था तथा उसे हमलावर को पहचानने और देखने का स्पष्ट अवसर मिला था। एक बार जब न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि कथन सत्य तथा स्वेच्छा से किया गया है, तो वह बिना किसी अन्य पुष्टि के भी दोषसिद्धि आधारित कर सकता है। यह कोई पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्युकालीन कथन पर अकेले

भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका समर्थन अन्य साक्ष्य न करें। पुष्टि की आवश्यकता केवल सावधानी का नियम है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में मृत्युकालीन कथन से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिन्हें Smt. Paniben v. State of Gujarat (AIR 1992 SC 1817) में संक्षेपित किया गया है:

(i) न तो ऐसा कोई विधिक या सावधानिक नियम नहीं है और न ही कि मृत्युकालीन कथन बिना पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता। (देखें: Munnu Raja and Another v. State of Madhya Pradesh (1976) 2 SCR 764)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्युकालीन कथन सत्य और स्वेच्छा से किया गया है, तो न्यायालय बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि कर सकता है।

(देखें: State of Uttar Pradesh v. Ram Sagar Yadav and Others, AIR 1985 SC 416 तथा Ramawati Devi v. State of Bihar, AIR 1983 SC 164)

(iii) न्यायालय को मृत्युकालीन कथन का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कथन किसी प्रकार की सिख, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का पर्याप्त अवसर मिला हो तथा वह कथन देने की उचित मानसिक अवस्था में रहा हो। (देखें: K. Ramachandra

Reddy and Another v. Public Prosecutor, AIR 1976 SC 1994)

(iv) जहाँ मृत्युकालीन कथन संदिग्ध प्रतीत हो, वहाँ बिना पुस्टि साक्ष्य के उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।(देखें: Rasheed Beg v. State of Madhya Pradesh, (1974) 4 SCC 264)

(v) जहाँ मृतक अचेत था और वह किसी प्रकार का मृत्युकालीन कथन कर ही नहीं सकता था, वहाँ ऐसे कथन से संबंधित साक्ष्य को अस्वीकार कर देना चाहिए। (देखें: Kaka Singh v. State of M.P., AIR 1982 SC 1021)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) ऐसा मृत्युकालीन कथन जिसमें गंभीर त्रुटियाँ हों, वह दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। (देखें: Ram Manorath and Others v. State of U.P., (1981) 2 SCC 654)

(vii) केवल इस कारण कि मृत्युकालीन कथन में घटना के सभी विवरण नहीं हैं, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। (देखें: State of Maharashtra v. Krishnamurthi Laxmipati Naidu, AIR 1981 SC 617)

(viii) इसी प्रकार, केवल इस कारण कि कथन संक्षिप्त है, उसे त्यागा नहीं जा सकता। इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता स्वयं उसकी सत्यता की गारंटी देती है। (देखें: Surajdeo Oza v. State of Bihar, AIR 1979 SC 1505)

(ix) सामान्यतः मृतक की मानसिक अवस्था कथन देने योग्य थी या नहीं, यह जानने के लिए न्यायालय चिकित्सकीय राय पर निर्भर करता है। लेकिन यदि चक्षुदर्शी कहता है कि मृतक कथन देने की संपूर्ण मानसिक स्थिति में था और सचेत अवस्था में था, तो चिकित्सकीय राय उस पर हावी नहीं हो सकती। (देखें: Nanahau Ram and Another v. State of Madhya Pradesh, AIR 1988 SC 912)

(x) जहाँ अभियोजन का संस्करण मृत्युकालीन कथन में दिए गए संस्करण से भिन्न हो, वहाँ मृत्युकालीन कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। (देखें: State of U.P. v. Madan Mohan and Others, AIR 1989 SC 1519)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xi) जहाँ एक से अधिक मृत्युकालीन कथन उपलब्ध हों, वहाँ सबसे पहले दिए गए कथन को वरीयता दी जानी चाहिए। बेशक, यदि एक से अधिक कथन विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए जाएँ, तो सभी को स्वीकार किया जा सकता है। (देखें: Mohanlal Gangaram Gehani v. State of Maharashtra, AIR 1982 SC 839)

15. P. V. Radhakrishna v. State of Karnataka में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, वर्तमान प्रकरण में अ. सा.-5 इतवारी निषाद को दिया गया मृत्युकालीन कथन न्यायालय का विश्वास अर्जित करता है, विश्वसनीय है और उस पर भरोसा करना सुरक्षित है।

16. उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दंडित किया है।

17. “पूर्वगामी कारणों से, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विश्वसनीय, निर्णायक एवं कानून द्वारा स्थिर रखने योग्य साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए तथा दंडित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवैधता कारित नहीं की है। दांडिक अपील में सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है एवंम एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एल. झंवर

न्यायाधीश

Desclaimer – यह कि कंडिका 1 से 17 तक का अनुवाद **दी गई जानकारी केवल इंग्लिश भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।**

अनुवादक - प्रशांत पारख

अधिवक्ता

जिला न्यायालय जिला बालोद (छ.ग.